

इसे वेबसाईट www.govt_press_mp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2015—कार्तिक 6, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 24-20-2008-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायमूर्ति श्री एस. एस. झा के एकल सदस्यीय जाँच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24-20-2008-एक-10, दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 में, शब्द “छः मास” के स्थान पर, शब्द “31-12-2015” स्थापित किये जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.